16.05.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप०।

वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16.05.25

(किरण पाल)

RAS.